

19.10.2022:—पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी का मूल वाद-पत्र खारिज होने के कारण इस प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रही। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

